।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः—कारा/भवन/नवीन निर्माण कार्य/2020—21/26486—587 दिनांकः 06-8-2020

उप महानिरीक्षक कारागार
रेन्ज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ।

विषयः— नवीन निर्माण/अन्य कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में।
प्रसंगः— इस कार्यालय के परिपत्र क्रमाक 68452—562दिनाक 2.3.2016 एवं लेखाधिकारी मुख्यालय कारागार जयपुर के पत्र क्रमाक 26078 दिनांक 31.07.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र एवं पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आपकी रेंज के अधीन कारागृहों के जो भी भवन निर्माण व अन्य कार्यो के जो भी प्रस्ताव भिजवाये जाते है वह अपूर्ण एवं सारहीन होते है, जबकि मुख्यालय द्वारा सभी बिन्दुओं के संबंध में परिपत्र जारी किया हुआ है, परन्तु आप द्वारा उक्त परिपत्र का अध्ययन किये बिना ही प्रस्ताव भिजवाये जा रहें है, जिसके कारण समय पर कार्यवाही पूर्ण नही होती है और ना ही राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जाता है।

अतः भविष्य में जो भी नवीन निर्माण कार्यों व अन्य कार्यो के प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाये जावें उनके लिए रेंज स्तर पर निम्न प्रकार से कमेटी का गठन किया जाता है, जो बी0एफ0सी0/आर0ई0 व अन्य निर्माण कार्यो के प्रस्तावों को पूर्ण औचित्य सहित परिपत्र व चैक लिस्ट/निर्धरित प्रारूप के अनुसार तैयार कर मुख्यालय को प्रत्येक वर्ष माह अक्टुम्बर के अन्तिम सप्ताह में कमेटी में नियुक्त कारापाल के साथ सम्बधित रेंज कार्यालय द्वारा भिजवाया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात किसी प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें।

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज	अध्यक्ष
2. मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक	सदस्य सचिव
3. सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
4. कारापाल	सदस्य

नवीन निर्माण कार्यो हेतु बजट मद 4059—80—789—01—02—17 एससीएसपी एवं बजट मद 4059—80—796—03—02—17 टीएसपी संलग्न चैक लिस्ट/प्रपत्र/उक्त बजट मद अंकित कर उक्त प्रस्ताव मय सॉफट/हार्ड कॉपी के साथ भिजवावे।

(संलग्न—प्रपत्र व चैक लिस्ट एवं परिपत्र,निर्धारित प्रारूप)

भवदीय

(विक्रम सिह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि जो भी भवन निर्माण/अन्य कार्यो के प्रस्ताव सीधे मुख्यालय को नही भिजवाया जावें, जो भी नवीन निर्माण/अन्य कार्यो के संबंध में अपने मण्डल/रेंज की नियुक्ति कमेठी के माध्यम से परिपत्र/दिशा–निर्देशो अनुसार ही प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

1. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी/केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह,राजस्थान।
2. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।
3. साख्यिकी (प्लान शखा) मुख्यालय कारागार, राजस्थान जयपुर उनके यू.ओ.नोट पत्र क्रमाक 26078 दिनांक 31.07.2020 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. प्रभारी कम्पयूटर शाखा, मुख्यालय कारागार को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।

Kunjesh /6.8.20

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर